अध्याय - 15

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

हम पढ़ेंगे

15.1 अर्थव्यवस्था से आशय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था।
15.2 प्राचीन भारत की ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का विकास।
15.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सरकारी प्रयास।
15.4 प्राचीन एवं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन।
15.5 आदर्श ग्राम की अवधारणा।
15.6 म.प्र. के चयनित ग्राम का आर्थिक अध्ययन

15.1 अर्थव्यवस्था से आशय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

किसी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश में उपलब्ध सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन एवं वह संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, जहाँ तक उसकी आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। सामान्यत: अर्थव्यवस्था से आशय आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व से है। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की हो सकती है- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण तथा अन्य पर निजी नियंत्रण होता है। अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ सामान्यत: एक देश की अर्थव्यवस्था से ही लिया जाता है, इसका अर्थ एक शहर नगर या गाँव आदि की अर्थव्यवस्था से भी लिया जा सकता है। एक शहर की अर्थव्यवस्था में वहाँ स्थित कारखानें, दुकानें, कार्यालय तथा अन्य सभी प्रकार के कार्य स्थल सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार एक गाँव की अर्थव्यवस्था में वहाँ स्थित खेत, दुकानें और अन्य सभी प्रतिष्ठान जहाँ व्यक्ति काम करते हैं; शामिल किये जाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था जीविकोपार्जन का क्षेत्र होता है।

अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य जीविकोर्पाजन करता है तथा अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र विशेष में विद्यमान उत्पादन इकाइयों से बनती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ एक देश के उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों, खदानों, बैंकों, सड़कों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों आदि से है जो लोगों को रोजगार देते हैं एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तथा जिनका उपयोग वहाँ की जनता द्वारा किया जाता है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रारंभ से ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय रहा है। काँस्य युगीन सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय जन प्रमुख रूप से कृषि व्यवसाय ही करते आए हैं। वैदिक युग में कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आर्थिक आधार थी। पशुपालन, आखेट और दस्तकारी का भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था। युद्धों की अधिकता के कारण बढ़ईगिरी एवं लुहारी प्रमुख व्यवसाय थे। मध्ययुग में भी भारत में कृषि प्रमुख व्यवसाय था। इसी कारण इसके विकास के लिये समय-समय पर प्रशासकों द्वारा प्रयास किये गए। मोहम्मद तुगलक ने सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाने के लिये नहरों का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने भूमि मापन कराया। अकबर के शासन काल में टोडरमल ने भी सही ढंग से भू-मापन कराया और उस आधार पर

कर राशि का निर्धारण किया। उस समय हर छोटे-बड़े राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि उपज ही थी। वस्त्र निर्माण का इस युग में विशेष विकास हुआ। गुणवत्ता की दृष्टि से ढाका की मलमल का नाम आज भी लिया जाता है। रंगरेजी, रेशम के कपड़ों की बुनाई, शाल एवं दरियाँ बनाने के उद्योग भी महत्वपूर्ण थे। व्यापार वाणिज्य भी बहुत विकसित था। अत: आर्थिक ढाँचा सुदृढ़ था।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रमुख रूप से दो आधारों पर बाँटा गया है। भौगोलिक एवं कार्यात्मक। यदि हम भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण को लेते हैं तो यह दो प्रकार की है- ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं शहरी अर्थव्यवस्था। इस अध्याय में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।

15.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। अत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्व बहुत अधिक है। अध्ययन की सुविधा के लिये हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं- (i) अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) अंग्रेजों के आगमन के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं (iii) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

(i) अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था

प्राचीन काल में भी देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी। वस्तुत: गाँव ही अर्थव्यवस्था की प्रमुख इकाई थी। उस समय गाँव आत्म निर्भर, समृद्ध एवं खुशहाल थे। प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज के गाँवों से बहुत भिन्न थी। इसकी विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

कार्यशील समुदाय की संरचना : प्राचीन समय में गाँव की कार्यशील जनसंख्या या समुदाय के तीन प्रमुख अंग थे - कृषक, दस्तकार तथा ग्राम अधिकारी।

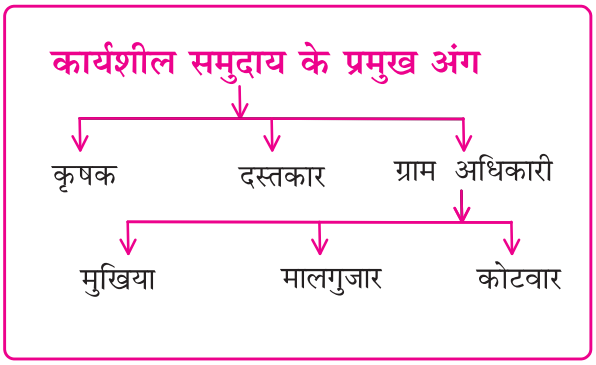

कृषक : ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कृषक ही था। विशेष बात यह थी कि प्रत्येक कृषक का गाँव में अपना घर तथा भूमि में हिस्सा होता था। वे साधन संपन्न होते थे। खेती का उद्देश्य प्राय: जीवन निर्वाह होता था।

दस्तकार : प्रत्येक गाँव में बढ़ई, लुहार, कुम्हार, सुनार, कारीगर, मोची, जुलाहे आदि सभी प्रकार के दस्तकार होते थे। ये ग्रामीण समुदाय की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को गाँव में ही पूरा कर देते थे। उनके कार्यों का पारिश्रमिक अनाज या वस्तु के रूप में दिया जाता था।

ग्राम अधिकारी : ग्राम अधिकारी मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते थे- (अ) मुखिया- यह गाँव का प्रमुख अधिकारी होता था तथा यह किसानों से लगान की वसूली कर शासक को देने के लिये उत्तरदायी था। (ब) मालगुजारी का रिकार्ड रखने वाला। (स) कोटवार जो आपराधिक एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ शासक को प्रदान करता था।

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं :-

आत्मनिर्भरता : गाँव आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी होते थे। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य यह है कि ग्रामवासी अपनी

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ

- ग्रामीण कार्यशील समुदाय की संरचना
- आत्मनिर्भरता
- वस्तु विनिमय प्रणाली
- सरल श्रम विभाजन
- श्रम की गतिहीनता
- बाह्य दुनिया से संपर्क का अभाव

विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अपने गाँव में ही पूर्ण कर लेते थे। ऐसा दो कारणों से संभव हुआ – एक तो ग्रामवासियों की आवश्यकताएँ सीमित होती थी तथा दूसरे उस समय यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव था।

वस्तु विनिमय प्रणाली : प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। सभी दस्तकारों तथा महाजनों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त कर लेते थे और बदले में अनाज दिया करते थे। पण्डित, वैद्य, नाई, धोबी सभी की सेवाओं का भुगतान अनाज या अन्य वस्तुओं के रूप में किया जाता था।

वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय की वह प्रणाली होती थी जिसमें वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान होता था। इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था।

सरल श्रम विभाजन : आर्थिक क्रियाएँ बँटी हुई थी। काम का बँटवारा दो आधार पर था- वंशानुगत या परंपरा के आधार पर यथा कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय तथा जाति के आधार पर जैसे लुहार, सुनार, बढ़ई, मोची, नाई, धोबी आदि। यह श्रम विभाजन एकदम सरल था।

श्रम की गतिहीनता : प्राचीन अर्थव्यवस्था की यह एक बहुत बड़ी विशेषता थी। परिवहन के साधनों की कमी, जाति-प्रथा, भाषा एवं खान-पान की कठिनाई के कारण श्रमिक अपने गाँवों में ही रहते थे। गाँव के बाहर प्रायः नहीं जाते थे।

बाह्य दुनिया से संपर्क का अभाव : हर गाँव अपने आप में संपूर्ण इकाई था। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। बाह्य दुनिया से कोई विशेष संपर्क नहीं होता था।

राज्य के प्रति उदासीनता: ग्रामवासियों का राज्य की गतिविधियों की ओर कोई विशेष रुझान नहीं होता था।

(ii) अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया। उन्होंने भारत एवं भारतीयों का हर प्रकार से शोषण किया। उन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनाई जिसके कारण खुशहाल भारत गरीबी, भुखमरी से जूझने लगा। कृषि एवं उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया। अर्थव्यवस्था की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन सामने आए-

अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ-

- दस्तकारी एवं हस्तकला का पतन।
- ग्रामीण समुदाय की संरचना में परिवर्तन।
- गांवों की आत्मनिर्भरता की समाप्ति।
- कृषि भूमि का हस्तांतरण।
- कृषि का पिछड़ापन।

दस्तकारी एवं हस्तकला का पतन : अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीय गाँवों में दस्तकारी का पतन हो गया। गाँव के दस्तकार बेरोजगार हो गए। गाँवों की समृद्धि एवं खुशहाली समाप्त हो गई।

ग्रामीण समुदाय की संरचना में परिवर्तन : ग्रामीण समुदाय जो अब तक कृषक, दस्तकार एवं सेवक तीन भागों में विभाजित था, अब अनेक भागों में विभाजित हो गया- जमींदार, कृषक- भूस्वामी कृषक एवं भूमिहीन कृषक, दस्तकार, कृषक श्रमिक आदि। यह विभाजन कृषि को पिछड़ेपन की ओर ले गया।

आत्मनिर्भरता की समाप्ति : कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणामस्वरूप उपज गाँवों से बाहर ले जाकर बेची जाने लगी तथा गाँव की आवश्यकता पूर्ति का सामान बाहर से आने लगा। इस प्रकार गाँवों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई।

कृषि भूमि का हस्तांतरण : कृषकों में निर्धनता व्याप्त होने के कारण कृषक ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे, किंतु ऋण की वापसी न कर पाने के कारण महाजन ऋण के बदले उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे। इस प्रकार कृषि भूमि का हस्तांतरण कृषकों से साहूकारों एवं महाजनों को होने लगा। परिणामस्वरूप कृषक भूमिहीन एवं बेघर होने लगे।

कृषि का पिछड़ापन : अंग्रेजों ने जो जमींदारी प्रथा चलाई उसका कृषि एवं कृषकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कृषक निर्धन एवं ऋण ग्रस्त होते गए। भूमि की उत्पादकता एवं सुधार की ओर न तो शासन ने ध्यान दिया और न ही जमींदारों ने, परिणामस्वरूप कृषकों का शोषण होने लगा तथा कृषि की दशा दयनीय होती गई।

(iii) आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था (स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी 2001 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार आज भी भारत की कुल जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है तथा शहरी क्षेत्रों में केवल 27.8 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार आज गाँवों की संख्या 6,38,588 है, जबकि शहरों की संख्या मात्र 5,161 ही है। अर्थात् प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 7 गांवों में रहते हैं। आज भी भारत गाँवों का देश है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। देश की दो तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका के लिये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है, परन्तु देश के सकल उत्पाद में कृषि का योगदान केवल 26 प्रतिशत है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही। गाँव का स्वरूप बदलने लगा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। उनमें से प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं–

उपलब्ध भूमि के आधार पर समुदाय की संरचना : आज के कृषकों को उनके पास उपलब्ध भूमि के स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बाँट सकते हैं –

(i) बड़े कृषक – जिनके पास 2 से लेकर 10 हेक्टेयर तक भूमि है।

(ii) मझोले कृषक – जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कुछ अधिक भूमि है।

(iii) छोटे कृषक – जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि हैं।

(iv) भूमिहीन कृषक – जिनके पास कोई भूमि नहीं है या वे बँटाई पर भूमि लेकर काश्तकारी करते हैं या खेतों में मजदूरी करते हैं।

बहुविध फसलें : आजकल वर्षभर में प्रमुख रूप से तीन फसलें ली जाती हैं। खरीफ, रबी एवं जायद। खरीफ वर्षाकालीन फसलें हैं, जो सितम्बर–अक्टूबर तक प्राप्त हो जाती है। जायद गर्मी की फसल है। आज

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषताएँ

- उपलब्ध भूमि के आधार पर समुदाय की संरचना
- बहुविध फसलें
- जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन
- मौद्रिक प्रणाली का प्रादुर्भाव
- अपर्याप्त संचार एवं आवगमन सुविधाएँ
- सहायक एवं कुटीर उद्योगों का विकास
- तकनीकी उन्नति
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

परंपरागत फसलों के अतिरिक्त कुछ नगदी फसलों का चलन हो गया है जैसे फूलों की खेती, तिलहन आदि।

जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन : गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं की कमी आदि अनेक कारणों से ग्रामीण जनता शहरों की ओर पलायन कर रही है। 1951 में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 82.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2001 में 72.2 प्रतिशत रह गया जबकि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 1951 में 17.3 था जो 2001 में बढ़कर 27.8 हो गया।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का प्रतिशत

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1951	82.7	17.3
1971	80.1	19.9
1991	74.3	25.7
2001	72.2	27.8

मौद्रिक प्रणाली का प्रादुर्भाव : गाँवों में पूर्व में प्रचलित वस्तु-विनिमय प्रणाली अब पूर्णतया लुप्त हो गयी है। आज देश में सर्वत्र मुद्रा का प्रयोग होने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विनिमय मुद्रा से क्रय-विक्रय प्रणाली से ही पूरी तरह लागू हो गयी है।

अपर्याप्त संचार एवं आवागमन सुविधाएँ : आज गाँव-गाँव को संचार एवं परिवहन के साधनों के माध्यम से जोड़ने का अथक प्रयास किया जा रहा है, परन्तु अधिकांश सड़कें कच्ची हैं। अतः बरसात में आज भी बहुत से गाँवों का अपने आसपास के क्षेत्रों से संपर्क टूट जाता है। वर्ष के शेष समय में ट्रक, बस, रेल से लेकर ट्रेक्टर, जीप, मोटर साइकिल एवं साइकिल का उपयोग होता है। वर्तमान में गाँव टेलीफोन एवं दूरदर्शन के माध्यम से भी जुड़ गए हैं।

सहायक एवं कुटीर उद्योगों का विकास : स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं उन्नत बनाने के उद्देश्य से कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। हर गाँव में स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार छोटे-छोटे घरेलू उद्योग विकसित किये गये जिससे रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई है और कृषक अपने खाली समय में इन उद्योगों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर पा रहे हैं।

तकनीकी उन्नति : गाँवों में किसानों ने अपेक्षाकृत बहुत कम समय में नई प्रौद्योगिकी को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। अब सिंचाई के लिये रहट का स्थान पंप ने ले लिया है। हल का स्थान हैरो और बैलगाड़ी का स्थान ट्रक एवं ट्रेक्टर-ट्राली ने ले लिया है। बड़ी मशीनों का उपयोग भी बड़े किसान करने लगे हैं। थ्रेशर का उपयोग अब आम बात हो गई है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार : आधुनिक गाँव शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। बड़े किसानों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। गाँव-गाँव में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सरकारी शालाएँ हैं। लड़कों के साथ लड़कियाँ भी शाला में पढ़ने लगी है। गाँवों में चिकित्सा की सुविधाएँ भी उपलब्ध हो गई हैं। प्रचार-प्रसार के माध्यम से भी ग्रामीणों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ रही है।

15.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सरकारी प्रयास

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों ने ग्रामीणों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु प्रारंभ से ही अनेक प्रयास किये हैं, जिनमें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई है। फिर भी अभी बहुत से कार्य बाकी हैं। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों और पंचायती राज-संस्थानों के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में जनभागीदारी को बहुत बल दिया है। सरकारी प्रयासों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है-

(1) **भूमि सुधार** – जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, एवं चकबंदी कर अनार्थिक जोतों को लाभप्रद बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बहाल करने और उसके हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिये सरकारी बंजर भूमि, निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि एवं भूदान से प्राप्त भूमि आदि का वितरण किया गया है। फसल – बीमा योजना भी प्रारम्भ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में वित्त आपूर्ति हेतु ग्रामीण बैंकों, तथा सरकारी बैंकों की स्थापना कर कृषि के आधुनिकीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है। फसलों के उचित बिक्री मूल्य हेतु सरकार न्यूनतम-मूल्य निर्धारण करती है। फसलों के भंडारण एवं विपणन हेतु भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। गाँव-गाँव को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) **आवास स्वच्छता एवं स्वास्थ्य :** अस्वास्थ्यकर आवासों के स्थान पर ग्रामों में स्वास्थ्यप्रद आवास व्यवस्था हेतु सरकार ने इंदिरा आवास योजना चलाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अन्य पहलू भी हैं- जीवन में गुणवत्ता लाना एवं महिलाओं को गरिमा प्रदान करना। स्कूलों में सफाई, पेयजल एवं शिक्षण की बुनियादी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गाँवों में परिवार कल्याण केन्द्र एवं आँगनवाड़ी आदि के माध्यम से खान-पान, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जागरुकता का भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस कार्य में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

(3) **कुटीर एवं लघु उद्योग :** ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कुटीर एवं लघु उद्योगों का अत्यधिक महत्व है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है। जैसे-

1. विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना के द्वारा इन उद्योगों की समस्याओं को सुलझाना। अखिल भारतीय हस्तकरघा उद्योग बोर्ड, भारतीय कुटीर उद्योग, खादी ग्रामोद्योग आदि इसी प्रकार की संस्थाएँ हैं।
2. वित्तीय सहायता हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किये गए हैं।
3. विपणन में सहायतार्थ सरकारी विभागों द्वारा इनके उत्पादों की खरीदी सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त देश-विदेश में मेले, प्रदर्शनी, हाट आदि का आयोजन किया जाता है।
4. तकनीकी सहायता के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गए हैं।
5. इस प्रकार उद्योगों को विभिन्न प्रकार से संरक्षण प्रदान करके बड़े उद्योगों से इनकी प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया गया है।

इस प्रकार सरकारी प्रयासों के द्वारा गाँवों के उन्नयन का अथक प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के आदर्शों को आधार बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी है।

15.4 प्राचीन एवं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

	तुलनात्मक आधार	अंग्रेजों के आगमन से पूर्व	अंग्रेजों के आगमन के बाद	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
1.	**आत्मनिर्भरता**	गाँव पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर थे।	आत्मनिर्भरता क्रमशः कम होती गई।	गाँवों की आत्म निर्भरता समाप्त हो गई।
2.	**कृषि का उद्देश्य**	कृषि का उद्देश्य जीवन-निर्वाह था।	जीवन निर्वाह कृषि से वाणिज्यिक होने लगा	प्रमुख रूप से वाणिज्यिक उद्देश्य हो गया है।

तुलनात्मक आधार		अंग्रेजों के आगमन से पूर्व	अंग्रेजों के आगमन के बाद	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
3.	राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान	कृषि का योगदान सर्वाधिक था।	कृषि का योगदान सर्वाधिक था।	कृषि का योगदान कम होता जा रहा है।
4.	आर्थिक स्थिति	गाँव समृद्ध संपन्न एवं खुशहाल थे।	संपन्नता निर्धनता में बदल गई। कृषकों का अत्यधिक शोषण होने लगा।	निर्धनता, बेरोजगारी विद्यमान है, परन्तु निरन्तर कम हो रही है।
5.	भूमिहीन कृषक	सभी कृषकों के पास अपना अपना घर व भूमि में हिस्सा था।	कृषक भूमिहीन हो गए। भूमि का हस्तांतरण कृषकों से महाजनों एवं जमींदारों को होने लगा।	जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, परन्तु भूमिहीन कृषकों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया।
6.	कृषि विधियाँ	कृषि विधियाँ पुरातन थीं खाद, सिंचाई व्यवस्था आदि परंपरागत थीं।	प्राचीन विधियाँ, खाद तथा सिंचाई व्यवस्था परंपरागत थीं।	वर्तमान में प्राचीन एवं आधुनिक दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है।
7.	ग्रामीण वित्त व्यवस्था	बड़े कृषक, साहूकार महाजन, आदि ऋण प्रदान करने के स्रोत थे।	साहूकारों के अतिरिक्त जमींदार, साहूकार ऋण के स्त्रोत थे। ऋण अदायगी न होने के कारण भूमि का हस्तांतरण हो जाता था।	सहकारी साख समितियाँ, ग्रामीण बैंक आदि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएँ कार्यरत हैं।
8.	श्रम की गतिशीलता	भौगालिक एवं व्यवसायिक दोनों ही श्रम में गतिशीलता का पूर्ण अभाव था।	श्रम गतिशील हो गया। यद्यपि गतिशीलता का प्रतिशत बहुत कम था।	भौगोलिक एवं व्यवसायिक दोनों प्रकार के श्रम में गतिशीलता में वृद्धि हुई है।
9.	परिवहन एवं संचार	सड़कों एवं यातायात के साधनों का अभाव था। संचार का माध्यम केवल हरकारे थे।	अंग्रेजों ने अपने व्यापार के अनुसार सड़के एवं रेललाइन बिछाई। इससे सड़कें व संचार साधन उपलब्ध हो गए। संचार हेतु डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो की सुविधा हो गई।	स्वतंत्रता के बाद सड़कों एवं रेलमार्गों का नेट-वर्क बहुत व्यापक हो गया है। संचार हेतु डाक, तार, फोन, फैक्स, मोबाइल फोन की सुविधाएँ बहुत बढ़ गई हैं। ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर की सुविधा हो गई है।

तुलनात्मक आधार	अंग्रेजों के आगमन से पूर्व	अंग्रेजों के आगमन के बाद	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
10. शिक्षा एवं प्रशिक्षण	शिक्षा बहुत कम और उच्च वर्गों में थी। प्रशिक्षण की सुविधा नहीं थी।	प्रशिक्षण की सुविधा नहीं थी। शिक्षा उच्च, मध्यम वर्ग में प्रचलित थी। दलितों एवं निम्न आय वर्ग में शिक्षा नहीं थी।	वर्तमान में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं में व्यापक विस्तार हुआ है। सभी वर्गों को शिक्षा के अवसर प्राप्त हैं

इस प्रकार वर्तमान में गाँव एवं ग्रामवासी दोनों का बहुत अधिक विकास हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रामीणों में जागरुकता आ गई है। जैसे ही उनके पास साधन जुटते हैं वे अपने और अपने परिवार के कल्याण हेतु सक्रिय हो जाते हैं। वे शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, राजनीति के बारे में जानने समझने लगे हैं। जागरुकता से जन सहयोग बढ़ता है, और योजनाओं की सफलता निश्चित हो जाती है।

15.5 आदर्श ग्राम की अवधारणा

किसी भी देश की महत्वपूर्ण धरोहर उसकी धरती तथा उस पर निवास करने वाले लोग होते हैं। भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है। यह गाँवों का देश है। जिस प्रकार एक भवन ईंट से ईंट मिलकर खड़ा होता है ठीक उसी प्रकार भारत देश का विशाल गणतंत्र गाँवों से मिलकर ही बना है। आज भी भारत की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। हम भली-भांति जानते हैं कि इतने वर्षों के प्रयास के बावजूद गाँवों की स्थिति अच्छी नहीं है। आज भी कई गाँव अभावग्रस्त हैं। गाँव का नाम आते ही हमारी आँखों के समक्ष गाँव का एक ऐसा दृश्य सामने आ जाता है जिसमें घास-फूस के झोंपड़े या कच्चे मकान, सूखे खेत, उड़ती धूल, गंदी नालियाँ, नंग धड़ंग भागते खेलते बच्चे, घर के भीतर ही बंधे जानवर, गोबर की गंध, मक्खियाँ, अशिक्षा और कुपोषण ही दिखाई देता है। यद्यपि अब इस स्थिति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है।

आदर्श ग्राम की विशेषताएँ

- उन्नत कृषि व्यवस्था
- आवासीय सुविधाएँ
- पेयजल व्यवस्था
- स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ
- शिक्षा व्यवस्था
- परिवहन सुविधाएँ
- संचार सुविधाएँ
- ऊर्जा एवं पर्यावरण जागरूकता
- औद्योगिक विकास
- प्रशासनिक व्यवस्था
- वित्तीय सुविधा

देश को अग्रणी बनाने के लिए ग्राम सुधार आवश्यक है। यदि ऐसा हो जाए तो भारत एक समृद्ध, सम्पन्न एवं खुशहाल देश बन सकता है। हमें अपने गाँवों को आदर्श गाँव बनाना पड़ेगा। एक आदर्श ग्राम में कृषि विकसित होना चाहिए तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की उचित व्यवस्था होना चाहिए। ग्राम में स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं उपलब्ध संसाधनों का संपूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार आदर्श ग्राम में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए-

1. **उन्नत कृषि व्यवस्था :** कृषि के विकास हेतु छोटे अनार्थिक खेतों को मिलाकर बड़े खेत बनाने चाहिए। चकबन्दी अपनाई जानी चाहिए। सामूहिक कृषि का प्रयोग, उपज बढ़ाने हेतु जैविक तथा रासायनिक उर्वरक, कृषि के लिए उन्नत बीजों का उपयोग एवं सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का प्रयोग होना चाहिए। उपज भंडारण हेतु उपयुक्त व्यवस्था, सहकारिता एवं शासकीय सहायता से उपज की बिक्री की व्यवस्था होना चाहिए।

2. **आवासीय सुविधाएँ :** ग्राम में आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मकान कच्चे या पक्के हों लेकिन साफ सुथरे होना चाहिए साथ ही घर में स्नान गृह, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जानवरों के लिए अलग बाड़ा एवं गोबर एकत्र कर उसे बायोगैस बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. **पेयजल सुविधा :** स्वच्छ पेयजल के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का जीर्णोद्धार होना चाहिए। ग्रामवासी उसमें कचरा आदि न डालें, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। गाँव में भूजल संर्वधन पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। ग्राम में ग्रामवासियों के लिए उचित पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए।

4. **स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ :** गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व चिकित्सक की व्यवस्था होनी चाहिए व आवश्यकतानुसार दवाइयों का प्रबंध भी होना चाहिए जिससे ग्राम वासियों की स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ और ग्राम स्तर पर ही रोगों का उपचार किया जा सके साथ ही शासन की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामवासी प्राप्त कर सके ।

5. **शिक्षा व्यवस्था :** ग्राम में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्रयास होने चाहिए ग्रामीणों में बालिका शिक्षा की ओर जागरूकता होनी चाहिए। ग्राम में परंपरागत शिक्षा के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पौष्टिक व स्वच्छ मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए।

6. **परिवहन सुविधाएँ :** गाँव में परिवहन की उचित व्यवस्था हेतु सड़कें होनी चाहिए जिससे गांव आसपास के गाँवों, कस्बों एवं जिला मुख्यालय से जुड़ सके। सड़के ऐसी हो जिनका सभी मौसम में लोग उपयोग कर सकें।

7. **संचार सुविधाएँ :** गाँव में संचार साधनों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टेलीफोन, डाकघर तथा इंटरनेट सुविधाएँ आदि उपलब्ध होनी चाहिए।

8. **ऊर्जा एवं पर्यावरण जागरूकता :** गाँवों में ऊर्जा हेतु बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। संभव हो तो वैकल्पिक ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाए। ग्रामवासियों में पर्यावरण के प्रति जारूकता होनी चाहिए। ग्रामवासी गाँव में अवशिष्ट पदार्थों का उचित उपयोग करें तथा यदि संभव हो तो उनका पुनः उपयोग करें ऐसी व्यवस्था हो। वृक्षों के उपयोग व वृक्षारोपण के प्रति ग्रामीण सक्रिय हों, जिससे गांव में हरियाली व्याप्त हो सके।

9. **औद्योगिक विकास :** ग्राम में कृषि आधारित उद्योगों का विकास होना चाहिए जैसे कि डेयरी उद्योग, कुक्कुट उद्योग आदि। ग्राम में कुटीर उद्योगों का विकास हो सकता है। जिससे ग्रामवासियों को उन्हीं के गांव में रोजगार भी मिल सके एवं उनकी आय में भी वृद्धि हो सकें ।

10. **प्रशासनिक व्यवस्था :** हमारे गांवों में पंचायत व्यवस्था है। ग्राम पंचायत के सदस्य व सरपंच गांव के विकास के प्रति जागरूक एवं सक्रिय होने चाहिए। जिससे गांवों में स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएँ ग्राम वासियों को प्राप्त हो सके। ग्राम पंचायत में प्रशासकीय पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। गाँव के हर कार्यालय जिसमें ग्राम सचिवालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, सहकारी समिति, शाला भवन आदि के कर्मचारियों को अपने दफ्तर को पूरी तरह से स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इन सभी भवनों पर स्थाई रूप से उनका नाम लिखा होना चाहिए।

11. **वित्तीय सुविधा :** ग्रामीण जन वित्तीय सुविधाओं के लिए मुख्यतः साहूकारों एवं महाजनों आदि पर निर्भर रहते हैं जो कई बार उनका शोषण करते है। आदर्श ग्राम में ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक आदि की सुविधा होना चाहिए। जिससे ग्रामवासी वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त कर सके। गांवों में स्वसहायता बचत समूहों के निर्माण के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक करके बचत की आदत में वृद्धि करायी जा सकती है।

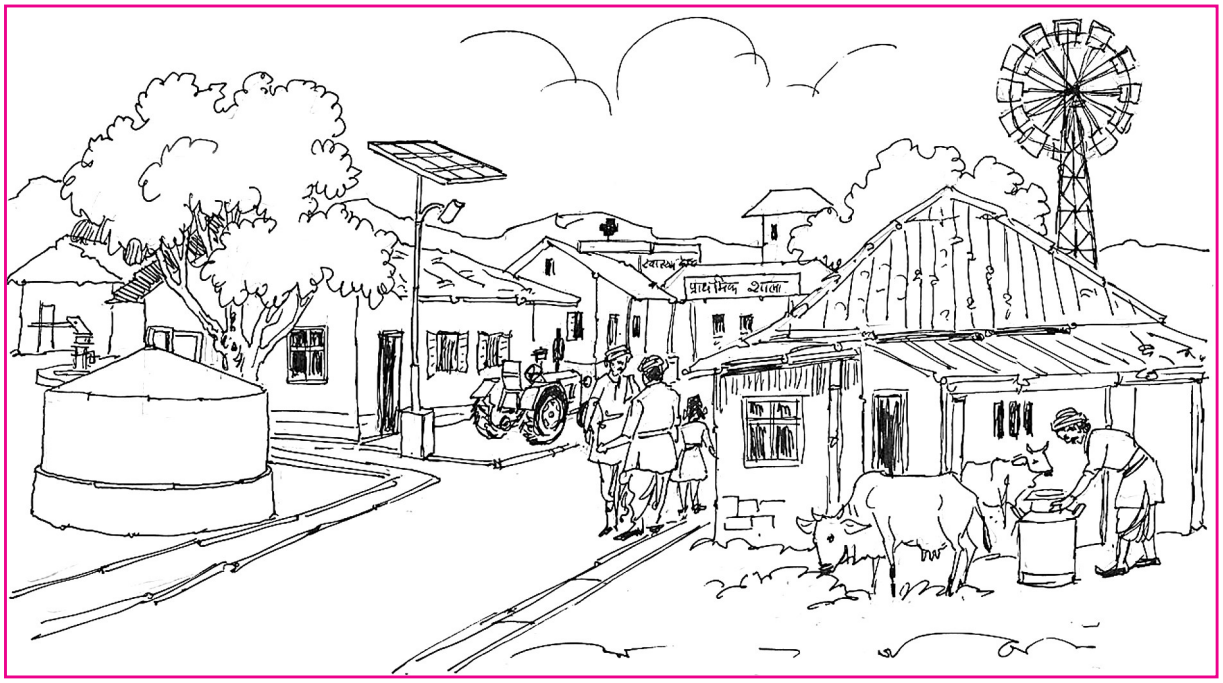

15.6 मध्यप्रदेश के चयनित ग्राम का आर्थिक अध्ययन

हम सब चाहते है कि भारत एक उन्नत, खुशहाल, समृद्ध और सम्पन्न देश बने। हमारा यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब हमारे गाँवों की परिस्थितियों और जनजीवन की कमियों और विशेषताओं को हम समझें और उनमें सुधार ला सकें। हम किसी एक गाँव का अध्ययन करके उस गांव में उपलब्ध संसाधनों व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उस गांव की प्राप्त असुविधाओं व समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामवासियों के सहयोग से गांव में उसका हल ढूंढकर समाधान हेतु प्रयास कर सकते हैं।

आर्थिक अध्ययन से तात्पर्य है कि एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधन वहाँ की जनसंख्या, आजीविका के साधन, आर्थिक स्थिति, परिवहन, संचार के साधन, वानिकी, उद्यानिकी, हाट–बाजार, वित्त, सामाजिक एवं सामुदायिक स्थितियों का अध्ययन करना। किसी गाँव के आर्थिक अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अध्ययन का उद्देश्य निर्धारित करना होता है। तत्पश्चात अध्ययन का क्षेत्र सुनिश्चित कर अध्ययन योजना बनाई जाती है। किसी भी अध्ययन के लिए आवश्यक सांख्यिकीय जानकारी (आंकड़ों) तथा तथ्यों की आवश्यकता होती है। कुछ सांख्यिकीय जानकारी ग्राम/जिला स्तर पर विभाग के ग्राम विकास खण्ड, तहसील या जिला स्तर के अधिकारियों के पास उपलब्ध होती है और कुछ जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। इस हेतु सामान्यत: तालिका एवं प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है।

मध्यप्रदेश के किसी एक गांव के अध्ययन के उदाहरणस्वरूप यहां पर मुरैना जिले के दिमनी गाँव का चयन कर उसका आर्थिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

ग्राम की भौगोलिक स्थिति : ग्राम दिमनी, मुरैना महगाँव राजमार्ग पर मुरैना नगर से 17 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह मध्यप्रदेश राज्य के शीर्ष उत्तर में मुरैना जिले की तहसील

ग्राम दिमनी

क्षेत्रफल	–	383 हैक्टेयर
जनसंख्या	–	2,346
जनसंख्या घनत्व	–	612 व्यक्ति
औसत वर्षा	–	70 से.मी.
मिट्टी	–	दोमट, कछारी एवं कंकरीली
प्रमुख व्यवसाय	–	41 प्रतिशत में कृषि

अम्बाह का राजस्व ग्राम है। इस राजस्व ग्राम का कुल क्षेत्रफल 383 हैक्टेयर है।

जलवायु : ग्राम दिमनी की जलवायु पर महाद्वीपीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। ग्रीष्मऋतु में अधिक गर्मी व शीत ऋतु में अधिक शीत यहां की जलवायु की विशेषता है। वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चिता यहां पाई जाती है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 70 सेंटीमीटर है।

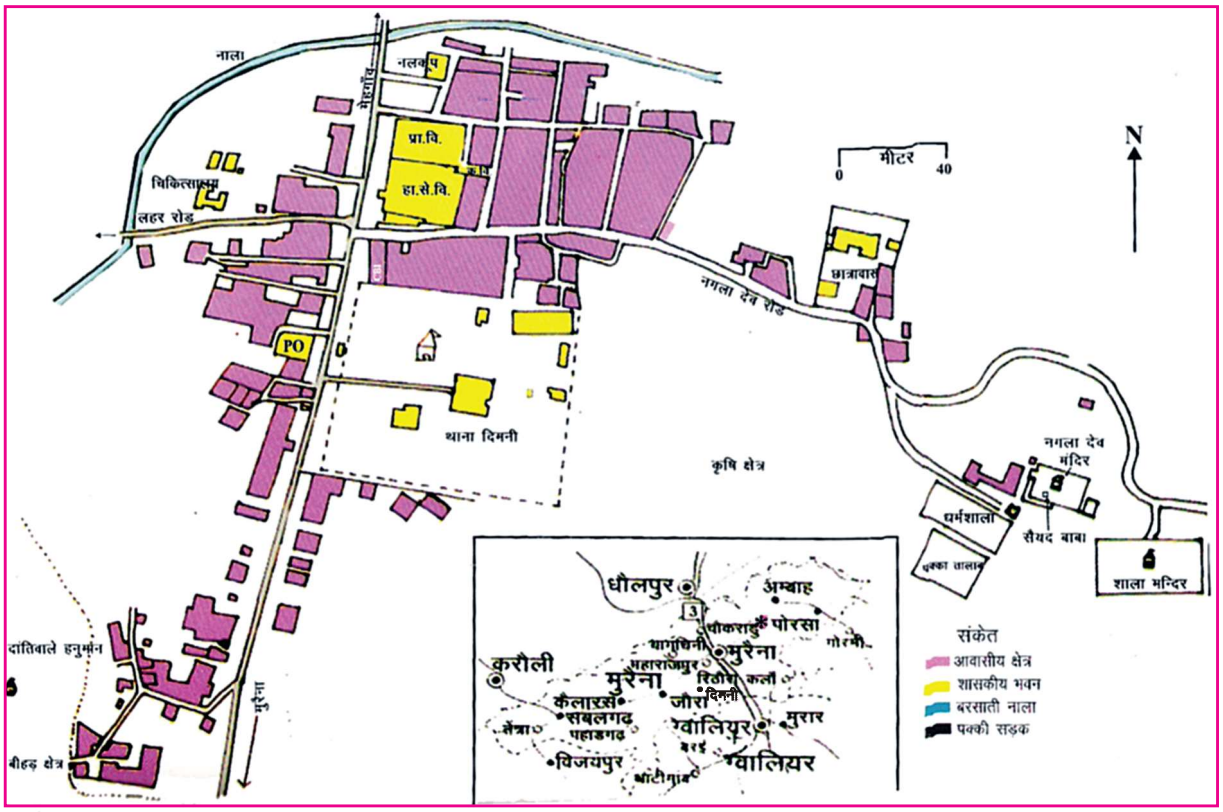

ग्राम-दिमनी, जिला- मुरैना (म.प्र.)

मिट्टी एवं वनस्पति : ग्राम दिमनी की आर्थिकी मूलत: कृषि पर आधारित है अत: उपजाऊ मिट्टी यहाँ के निवासियों की आवश्यकता है। सामान्यत: यहाँ दोमट, कछारी एवं कंकरीली मिट्टियों का विस्तार है। गाँव नदी के अपरदन से प्रभावित है। गाँव के पश्चिमी भाग में बीहड़ है। मिट्टी अपरदन एवं बीहड़ प्रसार, मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। वर्षा जल के तेज बहाव एवं निकटस्थ नदी प्रवाह के कारण मिट्टी में आर्द्रता की कमी अंकित की गई है। अत: कृत्रिम सिंचाई यहां कृषि के लिए आवश्यक हैं। ग्राम को जहाँ एक ओर क्वारी नदी का लाभ प्राप्त है वहीं दूसरी ओर अपरदन प्रसार एवं यदा-कदा बाढ़ से क्षति भी होती है।

नदी अपरदन (क्वारी नदी)

यहाँ अर्द्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ पेड़-पौधें हैं। नीम यहां का एक उपयोगी वृक्ष है। ग्राम के चारों ओर बबूल की कांटेदार वनस्पति भी देखने को मिलती है जिसका प्रसार आवासीय क्षेत्र में भी है। छेकुर जैसे कंटीले वृक्ष करील जैसी कटीली झाड़ियाँ सरपत्ता व डाव जैसी घास वनस्पति यहाँ पाई जाती है जिनसे कि रस्सी बनाई जाती है इनका उपयोग झोपड़ियों के निर्माण में किया जाता है। गाँव में बरगद, शीशम, पाकरी व पीपल के वृक्ष भी है। आक भी यहाँ अधिक संख्या में है।

जनसंख्या : दिमनी की जनसंख्या ग्राम के पुनर्स्थापना वर्ष 1971-72 में 1088 थीं तथा इस ग्राम का जन घनत्व 284 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर था। वर्ष 2001 की जनगणना में यह जनसंख्या बढ़कर 2,346 हो गई तथा यहां की जनसंख्या का घनत्व 612 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर हो गया है, किन्तु एक अधिवासी इकाई के रूप में सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गांव में 18 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या सबसे अधिक है अर्थात् 46 प्रतिशत हैं। कार्यशील जनसंख्या (18-60 आयु वर्ग का) कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत योगदान है। 60 वर्ष से अधिक के लोग मात्र 35 प्रतिशत हैं। वर्ष 2006 में ग्राम दिमनी की कुल जनसंख्या 2115 पायी गयी। कुछ लोगों द्वारा ग्राम से पलायन किए जाने की संभावना है।

जनसंख्या संरचना ग्राम दिमनी-2006

क्रमांक	आयु वर्ग	पुरुष	स्त्री	योग	कुल जनसंख्या में आयु वर्ग का %
1.	बच्चे व किशोर (18 वर्ष से कम)	537	435	972	46.0
2.	युवा (18 से 35 वर्ष)	385	349	734	34.7
3.	प्रौढ़ (35 से 60 वर्ष)	184	151	335	15.8
4.	वृद्ध (60 वर्ष से अधिक)	51	23	74	3.5
	योग	**1157**	**958**	**2115**	**100**

प्राप्त आँकडों के अनुसार गाँव में 18 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या सबसे अधिक अर्थात 46% है। कार्यशील जनसंख्या (18-60 आयु) का कुल जनसंख्या में 50% योगदान है।

आवासीय स्वरूप : आवास के स्वरूप के आधार पर यहा के आवासों को चार भागों में बाटा जा सकता है। पक्के, कच्चे, मिश्रित एवं झोपड़ीनुमा आवास।

आवासों का स्वरूप

क्रमांक	आवासीय स्वरूप	कुल आवास संख्या	कुल आवासों में प्रतिशत
1.	पक्के आवास	120	56.6
2.	कच्चे आवास	25	11.8
3.	कच्चे-पक्के मिश्रित आवास	31	14.6
4.	झोपड़ी नुमा आवास	36	17.0
	योग	**212**	**100.0**

ग्राम दिमनी के कुल आवासों में 11.8% आवास कच्चे हैं, जिनमें निर्माण सामग्री के रूप में स्थानीय मिट्टी तथा लकड़ी का प्रयोग किया गया है। 14.60% आवास पक्के व कच्चे मिश्रित प्रकार के है, इन मकानों में आगे के भाग को पक्का और आंतरिक भाग को कच्चा रखा गया है। इस गाँव के 17% आवास झोपड़ीनुमा है जिनमें चार दीवारी मिट्टी की बनी है। झोपड़ियाँ ग्राम के दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी भाग में स्थित है। स्वामित्व की दृष्टि से ग्राम दिमनी में 98.6% आवास (कुल 209) निजी स्वामित्व के है। जबकि 1.4% आवास (03) किराये के है जो कि शासकीय आवास है।

ग्राम की आर्थिक संरचना : ग्राम दिमनी की आर्थिक संरचना भी मूलत: कृषि आधारित है। अधिकांश व्यक्ति कृषि कार्य करते है अथवा गृह कार्यों के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में सहयोग करते है। कृषि कार्य में पुरुषों की संख्या अधिक है। स्त्री जनसंख्या का अधिकांश भाग गृह कार्य में लगा हुआ है।

कार्यशील जनसंख्या ग्राम दिमनी

क्रमांक	कार्य	संलग्न जनसंख्या			कुल कार्यशील जनसंख्या का %
		पुरुष	स्त्री	योग	
1.	कृषि	310	28	338	41.00
2.	गृह कार्य	2	318	320	38.00
3.	सेवा कार्य	75	07	82	10.00
4.	कामगार मजदूर	49	06	55	7.00
5.	व्यापार व वाणिज्यिक कार्य	35	00	35	4.00
	योग	**471**	**359**	**830**	**100.00**

ग्राम दिमनी की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक 40% कृषि कार्य में संलग्न हैं इनमें 92% पुरुष तथा केवल 8% महिलाएं हैं जबकि सबसे कम कार्यशील जनसंख्या व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न है। गृह कार्य में 99% प्रतिशत महिलाएं है।

सेवा कार्यों में संलग्न व्यक्ति कुल कार्यशील जनसंख्या के 10% है। दैनिक आवश्यकता आपूर्ति के प्रतिष्ठान, कृषि आदान व उपकरण बिक्री केन्द्र तथा कृषि उत्पाद व पशुओं का व्यापार यहाँ के प्रमुख वाणिज्यिक व व्यापारिक कार्य है। इन कार्यों में शत-प्रतिशत पुरुष ही संलग्न हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठान मुख्यत: सड़क मार्ग के सहारे विकसित है। बस्ती क्षेत्र में दैनिक आपूर्ति हेतु संचालित दुकानों की स्थिति अति दयनीय है। अन्य कामगार जनसंख्या में बैण्ड वादक, मजदूर व दस्तकार सम्मिलित हैं। सम्पूर्ण कार्यशील जनसंख्या में कोई भी बाल श्रमिक नहीं है तथापि यहाँ घरों में बालिकाएं महिलाओं को माला बनाने में सहयोग करती है।

गाँव में माला बनाने के काम में संलग्न बालिकाएँ

व्यक्ति साक्षात्कार द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर परिवारों का आय स्तर निम्नलिखित तालिका में अंकित किया गया है।

परिवारिक आय ग्राम दिमनी

क्रमांक	कुल वार्षिक आय प्रति परिवार रूपये	परिवार संख्या	स्तर	परिवारों का प्रतिशत
1.	5000 से कम	70	निम्नतम	33.0
2.	5000 से 10000	39	निम्न	18.4
3.	10000 से 20000	38	निम्म मध्यम	17.9
4.	20000 से 50000	37	मध्यम	17.5
5.	50000 से अधिक	28	उच्च	13.2
	योग-	**212**		**100.00**

ग्राम में अधिकांश परिवार अर्थात लगभग एक तिहाई परिवारों की वार्षिक आय रू. 5,000/- से भी कम है।

रहन-सहन का स्तर : ग्राम के पारिवारिक सर्वेक्षण में रहन-सहन के स्तर मापन हेतु निम्नलिखित चार मापदंड तय किये गये- (1) आवासीय भवन का स्वरूप। (2) गृह उपयोगी भौतिक साधन। (3) दैनिक आवागमन हेतु स्वयं के वाहन व संचार साधन एवं (4) विद्युत व जलपूर्ति। इन मानदंडों के आधार पर रहन-सहन स्तर मापन हेतु प्रत्येक भौतिक साधन के उपयोग को उपयोगिता गुणवत्ता व मूल्य के आधार पर मूल्यांकित कर स्तरों का निर्धारण किया गया है। जिससे प्राप्त जानकारी तालिका में दर्शायी गयी।

परिवारों के रहन-सहन स्तर ग्राम दिमनी-2006

क्र.	वर्ग	स्तर	कुल परिवार की संख्या	
1	**पक्के दो मंजिल आवास** ● रंगीन टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन, गैस चूल्हा व अन्य सामान ● जीप एवं कार टेलीफोन व मोबाइल ● विद्युत व जल प्राप्ति की उचित व्यवस्था	उच्च	23	11.8 %
2	**पक्के आवास** ● टीवी, कूलर, पंखा एवं गैस चूल्हा स्टोव व अन्य सामान ● मोपेड स्कूटर, मोटर साइकिल, ट्रेक्टर, टेलीफोन व मोबाइल ● विद्युत प्रकाश व जल प्राप्ति की सामान्य व्यवस्था	मध्यम	84	40.0 %
3	**मिश्रित कच्चे एवं झोपड़ीनुमा मकान** ● पंखा, स्टोव, सामान्य चूल्हे ● साइकिल, बैल गाड़ी, पैदल ● विद्युत व जल प्राप्ति की निम्न व्यवस्था	निम्न	105	49.0 %
	योग-	**औसत**	**212**	**100%**

ग्राम दिमनी के लगभग आधे परिवार (49%) निम्न रहन-सहन स्तर के अंतर्गत है जबकि 10.8% परिवारों का स्तर यहाँ उच्च निरूपित किया गया है। यहाँ के 40% परिवार रहन-सहन की दृष्टि से मध्यम स्तर के हैं, तथा 41.9% परिवार गरीबी रेखा के नीचे है।

आर्थिक अध्ययन के परिणामस्वरूप इस ग्राम में मुख्यत: निम्न समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई-

1. गाँव में सिंचित क्षेत्र सीमित मात्रा में है, तालाब तथा कुंओं से ही सिंचाई हो पाती है। अत: कृषि उत्पादकता कम है।
2. ग्रामीण अधिभार भू-क्षरण तथा अपरदन से प्रभावित है। दक्षिण पश्चिम आवासीय क्षेत्र में समस्याएँ सर्वाधिक है।
3. जल स्रोतों का समुचित दोहन नहीं- जो भी उपलब्ध जल संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। जो पंप लगे हैं विद्युत की कमी से उनका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है।
4. न्यूनतम आय की स्थिति होने पर भी पारिवारिक व सामाजिक कार्यक्रमों पर अधिक खर्च करते हैं। जैसे- विवाह पर लगभग बीस हजार से दस लाख तक की राशि खर्च कर देते हैं। इसी प्रकार शोक कार्यक्रमों में दस हजार से चालीस हजार तक की राशि खर्च करना। त्यौहारों में 500 से 2000 तक राशि खर्च करना इत्यादि।
5. नियोजित अधिवासी इकाई में भी कूड़ा कचरा इकट्ठा करने की उचित व्यवस्था नहीं है। फलत: कचरे की गंदगी सड़कों तक आती है तथा कृषि हेतु कम्पोस्ट खाद की निर्मिती नहीं हो पाती है।
6. गाँव में किसी प्रकार के रोजगार आदि का साधन नहीं है। जो विभिन्न व्यवसाय और फसलें है वो पूरे वर्ष आय देने वाली नहीं है। मजदूरी के लिए लोग गाँव से बाहर पलायन करते हैं और शोषण का शिकार हो जाते हैं तथा कम मजदूरी पर काम करते है।

ग्राम दिमनी की आर्थिक समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव-

- कुंवारी बीहड़ प्रसार को रोकने हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। बीहड़ के किनारे मिट्टी के बांध बनाये जाये तथा वर्षा जल को स्थान-स्थान पर अवरूद्ध करते हुए जल बहाव हेतु पक्की नालियाँ बनाई जा सकती हैं।
- ग्रामीणों को जैविक खाद बनाने की विधि व उसके महत्व से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वच्छता हेतु जन जाग़ृति के प्रयास किये जाने चाहिए।
- गाँव में कृषि उत्पादन हेतु भंडार गृह बनाये जाएं तथा गाँव में तेलघानी उद्योगों के विकास हेतु प्रयास किये जाएं जिससे कि कृषकों का आर्थिक विकास संभव हो सके।
- स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए। मूलरूप से डेयरी उद्योग के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है।
- बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाने हेतु स्वसहायता समूह बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। साथ ही ग्रामवासियों को अनावश्यक व्यय न करने हेतु जागरूक करने हेतु ग्राम पंचायत बैठकों, शाला प्रबंधन समिति की बैठकों इत्यादि में चर्चा की जा सकती है।

उपरोक्त सुझावात्मक प्रयासों के अलावा ग्राम पंचायत व ग्राम में शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों द्वारा ग्राम में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सम्भावित प्रयासों द्वारा गांव की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ग्रामवासियों को जागरूक व सक्रिय करने में शिक्षकों की भूमिका अहम् है।

जमींदारी प्रथा : लार्ड कार्नवालिस ने 1793 में सर्वप्रथम बंगाल में यह प्रथा प्रारंभ की, जिसमें भू-राजस्व एकत्रित करने के लिए जमींदार नियुक्त किए गए। जमींदार, भू-राजस्व एकत्रित करने के लिए सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बन गए।

चकबन्दी : यह वह प्रक्रिया है, जिसमें किसान की छितरी छोटी-छोटी जोतों के बदले उसी किस्म का उतने ही आकार का एक (या दो) भूखण्ड लेने के लिए किसान को तैयार किया जाता है या चकबन्दी ऐच्छिक के साथ-साथ अनिवार्य भी होती है।

भूमि सुधार : किसी संगठन या भूमि व्यवस्था की संस्थागत व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन से है। भूमि स्वामित्व एवं भूमि जोत में होने वाला सुधार भूमि सुधार के अन्तर्गत आता है।

श्रम विभाजन : श्रमिकों में उनकी विशेष योग्यताओं के अनुसार कार्यों का बंटवारा।

वस्तु विनिमय : वस्तुओं का, वस्तुओं के बदले लेन-देन।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

सही विकल्प चुनकर लिखिए-

1. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर स्वामित्व होता है-
   (i) सरकार का (ii) निजी व्यक्तियों का
   (iii) दोनों का (iv) उपर्युक्त में कोई नहीं
2. सिंचाई सुविधायें बढ़ाने के लिये किस मुगल शासक ने नहरें प्रमुखता से बनवाई-
   (i) मोहम्मद तुगलक (ii) अकबर
   (iii) शाहजहाँ (iv) हुमायूँ
3. अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी-
   (i) मुद्रा आधारित (ii) आत्मनिर्भर
   (iii) आयात पर निर्भर (iv) उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. 2001 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था-
   (i) 21.4 (ii) 32.8
   (iii) 65.1 (iv) 72.2
5. भारत में भूमि सुधार कब प्रारम्भ किया गया-
   (i) स्वतंत्रता के पश्चात (ii) अंग्रेजों के आगमन से पूर्व
   (iii) वैदिक काल में (iv) उपर्युक्त में से कोई नहीं

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए-

1. ..... एक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य जीविकोपार्जन करता हैं।
2. आजकल वर्षभर में प्रमुख रूप में ..... फसलें ली जाती है।
3. अंग्रेजों के आगमन से पूर्व कृषि का उद्देश्य ..... था।
4. ..... ने जमींदारी प्रथा चलाई।

सत्य/असत्य बताइए-

1. फसलों के उचित बिक्री मूल्य हेतु सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारण करती है।
2. अंग्रेजों के आगमन के बाद गाँव आत्मनिर्भर हो गए।
3. अनार्थिक खेतों को मिलाकर चकबंदी के द्वारा आर्थिक खेत बनाए।
4. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बढ़ता जा रहा हैं।

अतिलघुत्तरीय प्रश्न-

1. अर्थव्यवस्था का आशय स्पष्ट कीजिए।
2. अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत के गाँव किस प्रकार के थे?
3. गाँवों की आत्मनिर्भरता से क्या आशय है?
4. प्राचीन समय में गाँव की कार्यशील जनसंख्या के प्रमुख अंग कौन से थे?

लघुत्तरीय प्रश्न-

1. अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय ग्रामीण कार्यशील समुदाय की संरचना बताइए।
2. अंग्रेजों के आगमन के पश्चात कृषि भूमि का हस्तांतरण क्यों होने लगा?
3. प्राचीन भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली क्यों प्रचलित थी?
4. जनसंख्या का गाँव से शहरों की ओर पलायन क्यों होने लगा? समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत की प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ बताइये।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए एवं विकास हेतु शासन ने क्या प्रयास किए? लिखिए।
3. कुटीर एवं लघु उद्योग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस प्रकार सहायक है? समझाइए।
4. प्राचीन एवं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
5. एक आदर्श ग्राम की विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं? लिखिए।
6. किसी गाँव को आत्मनिर्भर व विकासशील बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास करने की आवश्यकता होती है? लिखिए।